WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259880
CG-DL-E-03012025-259880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946
No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2025

सं. 47/2024–2025

विषयः विदेश व्यापार नीति को तैयार करने या संशोधन के संबंध में आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करने हेतु पैरा 1.07क और 1.07ख को शामिल करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन।

का.आ. 23(अ). —विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा एफटीपी 2023 के अध्याय 1 में तत्काल प्रभाव से पैरा 1.07क और पैरा 1.07ख को भाामिल करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है:

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2. **1.07क हितधारकों के साथ परामर्श**

विदेश व्यापार नीति तैयार करने के दौरान, केन्द्र सरकार जब भी ऐसा करना उचित समझे, विदेश व्यापार नीति तैयार करने, उसमें विशिष्ट प्रावधान शामिल करने या संशोधन करने के संबंध में आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक मांग सकती है और जहां तक संभव हो, ऐसे संबंधित हितधारकों को अपने विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन की समय–अवधि प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त के बावजूद, केन्द्र सरकार हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त किए बिना, विदेश व्यापार नीति में किसी भी विशिष्ट प्रावधान को स्वप्रेरणा से तैयार करने, संशोधित करने या शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.07ख विचार, सुझाव, टिप्पणियाँ या फीडबैक मांगना

पैरा 1.07क के अनुसार विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त करने के बाद, यदि ऐसे विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक विदेश व्यापार नीति में शामिल नहीं किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार जहां तक संभव हो और यदि ऐसा करना उचित समझे, तो आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों को, जिनसे ऐसे विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त हुए थे, विदेश व्यापार नीति में विशिष्ट प्रावधानों को तैयार करने, संशोधित करने या शामिल करने के दौरान उनके विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या फीडबैक पर विचार न करने के कारण बता सकती है।

बशर्ते कि उपरोक्त पैरा में कोई भी बात केंद्र सरकार को विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या फीडबैक को शामिल न करने के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य या अधिकृत नहीं करेगी, जो

i. किसी देश के साथ व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो या डाले;
ii. भारत की खाद्य, आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले;
iii. किसी भी सरकारी नीतियों, रणनीतिक कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों या प्रतिबद्धताओं या दीर्घकालिक स्कीमों के साथ टकराव हो और ऐसी नीतियों या कार्यक्रमों के उद्देश्यों को कमजोर करे;
iv. व्यापार से असंबंधित मामलों का समाधान करे या व्यापक सार्वजनिक हित, भलाई के लिए नुकसानदेह या उसके विपरीत संकीर्ण निजी या विशेष हितों का कार्य करता हो; या
v. गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों, टिप्पणियों, राय या फीडबैक के लिए कारण जानने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं दिया जाएगा, जो विदेश व्यापार नीति में शामिल नहीं है।

3. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया गया है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.07 को पैरा 1.07क और पैरा 1.07ख को शामिल करके संशोधित किया गया है, ताकि व्यापार सुविधा उपायों को शुरू किया जा सके जिसमें केंद्र सरकार के पास निर्यातकों/आयातकों/उद्योग विशेषज्ञों जैसे प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श करने का विकल्प उपलब्ध होगा, ताकि उनके विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त किए जा सकें और साथ ही विदेश व्यापार नीति के निर्माण या संशोधन के संबंध में

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या फीडबैक को स्वीकार नहीं करने के कारणों को सूचित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रक्रिया भी प्रदान की जा सके।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/180/50/एएम25/पीसी–6/ई–40921]

संतोष कुमार सारंगी,
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

Directorate General of Foreign Trade

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2025

No. 47 /2024-2025

Subject: Amendment in Foreign Trade Policy 2023 to include Para 1.07A and 1.07B for consultation with stakeholders to seek views, suggestions, comments or feedback from relevant stakeholders, including importers/exporters/industry experts concerning the formulation or amendment of the Foreign Trade Policy.

S.O. 23(E).— In the exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby makes the following amendments by inserting Para 1.07A and Para 1.07B with immediate effect in Chapter 1 of FTP 2023:

2. **1.07A Consultation with Stakeholders**

The Central Government, in the course of formulation of Foreign Trade Policy, as and when it deems reasonable to do so, may seek views, suggestions, comments or feedback from relevant stakeholders, including importers/exporters/industry experts with regard to formulation, incorporation of specific provision(s) or amendments in the Foreign Trade Policy, and to the extent possible, 30 days' time-period may be provided to such relevant stakeholders for submission of their views, suggestions, comments or feedback.

Notwithstanding the above, the Central Government reserves the right to suo moto formulate, amend or incorporate any specific provisions in the Foreign Trade Policy, without seeking views, suggestions, comments, or feedback from stakeholders.

1.07B Soliciting of views, suggestions, comments or feedback

After receiving the views, suggestions, comments or feedback as provided for in para 1.07A, if such views, suggestions, comments or feedback are not incorporated in the Foreign Trade Policy thereof, the Central Government may to the extent possible and if deems reasonable to do so, provide, to the relevant

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

stakeholders, including importers/exporters/industry experts from whom such views, suggestions, comments or feedback were received, the reasons for not considering their views, suggestions, comments, or feedback while formulating, amending or incorporating specific provisions in the Foreign Trade Policy .

Provided nothing in the above para shall oblige or mandate the Central Government to disclose reasons for not incorporating views, suggestions, comments or feedback, that

i. has the potential to or will adversely affect trade relations with any foreign country;
ii. would adversely affect food, economic or national security of India;
iii. is in conflict with any government policies, strategic programs, international obligations or commitments or long-term plans and would undermine the objectives of such policies or programs;
iv. addresses matters unrelated to trade or serve narrow, private or special interests to the detriment of or contrary to the broader public interest, good; or
v. would require the disclosure of confidential or classified information.

Nothing shall confer any legal right whatsoever on any person to seek reasons for his views, comments, opinions or feedback, not being incorporated in the Foreign Trade Policy thereof.

3. This is issued in the public interest.

Effect of this Notification: Para 1.07 of Foreign Trade Policy 2023 is amended by inserting Para 1.07A and Para 1.07B to introduce trade facilitation measures with an option available to the Central Government for consultation with relevant stakeholders such as exporters/importers/industry experts to seek their views, suggestions, comments or feedback and also providing the mechanism on best endeavour basis, to inform reasons for not accepting views, suggestions, comments or feedback concerning the formulation or amendment of the Foreign Trade Policy.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/92/180/50/AM25/PC-6 /E-40921]

SANTOSH KUMAR SARANGI,
Director General of Foreign Trade
Ex-Officio, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.